



- श्रीमान पुलिस आयुक्त, राजेन्द्रसिंह व श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व श्री आलोक श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु कार्यवाही करते हुए एक नाबालिग बालक को बालश्रम से मुक्त करवाया गया।
- प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जोधपुर पूर्व द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं रेस्क्यू।

**कार्यवाही विवरण:**—आज दिनांक 15.04.2025 को श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स एवं एएचटी) राजस्थान, जयपुर कार्यालय के निर्देशानुसारं जिला जोधपुर पूर्व में बालश्रम की रोकथाम हेतु श्री शुभकरण अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त **SIUCAW** जोधपुर पूर्व के निकटतम सुपरविजन में जिले में नाबालिग बच्चो से कराये जा रहे बालश्रम की रोकथाम की कार्यवाही में आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जोधपुर पूर्व की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए श्रीराम मोर्टस एण्ड एसी सर्विस सेन्टर शिकारगढ रोड़ जोधपुर से 01 नाबालिग बालक से बालश्रम करवाया जाना पाया जाने पर नाबालिग बालक को नियमानुसार संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति जोधपुर के समक्ष पेश किया जाने पर बाल कल्याण समिति जोधपुर के आदेश से किशोर गृह मण्डोर में दाखिल करवाया गया। ताबाद पुलिस थाना एयरपोर्ट पहुँच दुकान संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया।

पुलिस टीम:—

1. श्रीमती सुमन कुमारी उ.नि. प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
2. श्री कन्हैयालाल कानि 1940, मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
3. श्री सुमेर सिंह कानि. 3040 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
4. श्रीमती बबली म.कानि 1800 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
5. श्री मेघाराम कानि 677 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
6. श्री नटवर सिंह कानि चालक 2664 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।

भवदीया,  
एसडी /—  
प्रभारी  
मानव तस्करी विरोधी यूनिट,  
जोधपुर पूर्व